कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 1012 / जिपं / NRLM / HR / 2014 जगदलपुर, दिनांक 23/01/2014

प्रति,

जिला सूचना एंव विज्ञान अधिकारी
जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.)

विषयः--विज्ञापन प्रकाशित करने बाबत्।

--::0::--

जिला पंचायत, बस्तर जिला, जगदलपुर के अधिनस्थ आजीविका मिशन "बिहान" के अतंर्गत रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति बाबत् विज्ञापन प्रकाशित www.cg.gov.in वेबसाइट में किया जाना है।

अतः विज्ञापन प्रकाशन हेतू प्रारूप संलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त विज्ञापन को **दिनांक 22 जनवरी, 2014** को प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः विज्ञापन प्रारूप एवं आवेदन पत्र की प्रति

कलेक्टर
जिला बस्तर
जगदलपुर

कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर , जगदलपुर (छ.ग.)

क0/1011/NRLM/HR/13 जगदलपुर दिनांक 23/01/2014

छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन , मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क0/1766/वि–6/NRLM/13 जगदलपुर दिनांक 09/01/2014 में निहित निर्देशानुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन **"बिहान"** के अंतर्गत विकासखण्ड बस्तर, बास्तानार एवं बकावण्ड हेतु निम्नलिखित बैकलॉग पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार संविदा नियुक्ति पर निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर / टाईपराइटर अंकित अथवा स्पष्ट अक्षरों में हाथ से भरा हुआ आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , बस्तर जिला , जगदलपुर (छ.ग.) के पते पर निर्धारित अंतिम तिथि 8/2/2014 तक आमंत्रित किये जाते हैं । निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेंदन पत्रों पर विचार किया नहीं जावेगा ।

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.</th><th rowspan="2">पदनाम</th><th colspan="2">जिला स्तर</th><th rowspan="2">संविदा वेतन (एकमुश्त)</th><th rowspan="2">आयु</th><th rowspan="2">न्यूनतम आर्हता</th><th rowspan="2">वांछनीय अर्हताएं</th></tr>
<tr><th>पदों की संख्या</th><th>विकासखण्ड स्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्षेत्रीय समन्वयक ()</td><td>02</td><td>
<table>
<tr><th>प्रवर्ग</th><th>मुक्त</th><th>महिला</th><th>निशक्त</th><th>भू. सैनिक</th></tr>
<tr><td>अजजा</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>अजा</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>अपिद</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>अनारक्षित</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
</td><td>15000/–</td><td>21 से 65 वर्ष</td><td>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय पर द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक तथा शासकीय/ गैर शासकीय संस्था में विकास संबंधी क्षेत्र का फील्ड का एक वर्ष का कार्यानुभव ।</td><td>1 एम. एस. आफिस एप्लीकेशन कार्य करने का ज्ञान ।

2 बस्तर जिले के स्थानीय निवासी ही आवेदन करने के लिए पात्र होगें ।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>लेखापाल</td><td>03</td><td>
<table>
<tr><th>प्रवर्ग</th><th>मुक्त</th><th>महिला</th><th>निशक्त</th></tr>
<tr><td>अजजा</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>अजा</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>अपिद</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>अनारक्षित</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
</td><td>9000/–</td><td>21 से 65 वर्ष</td><td>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ वाणिज्य विषय में स्नातक ।</td><td>1 लेखा कार्य करने का अनुभव ।

2 एम. एस. आफिस एप्लीकेशन एवं टैली में कार्य करने का अनुभव ।

3 बस्तर जिले के स्थानीय निवासी ही आवेदन करने के लिए पात्र होगें ।</td></tr>
</table>

आवेदार्थियों के लिए सामान्य निर्देश :–

1. उपरोक्त पदो में भर्ती हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/1–1/2012/1–3 दिनांक 17.01.2012 अनुसार जिले के (विकास खण्डों क्रमशः जगदलपुर/बस्तर/बकावण्ड /लोहण्डीगुडा, तोकापाल, दरभा एवं बास्तानार) मूल निवासी ही , रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे।
2. आवेदक एक से अधिक भिन्न पदों हेतु आवेदन कर सकता है।
3. एक ही पद के लिए मात्र एक आवेदन करें । एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
4. आवेदक लिफाफे के उपर आवेदिका पद का नाम स्पष्ट अेकित करें । प्रत्येक पद के लिए पृथक – पृथक आवेदन किया जाना होगा ।
5. स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के अतिरिक्त किसी भी और माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अधिकृत प्रारूप में जाति तथा मूल निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।
7. यह निसुक्ति छ.ग. शासन सामन्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संविदा भर्ती नियम के अधीन होगी ।
8. आवेदक को आवेदन के साथ समस्त वाछिंत प्रमाण – पत्रों एवं अंक – सूचियों (क्षेत्रीय समन्यवयक तथा लेखापाल पद हेतु 10वी , 12 वीं , तथा स्नातक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. अस्पष्ट , त्रुटिवूर्ण , बिना फोटो के अहस्ताक्षरित पेसिंल से भरे हुए या निर्धारित प्रारूप से पृथक प्रारूप में जमा किये गए आवेदन निरस्त किये जावेंगें।

10. क्षेत्रीय समन्वयक तथा लेखापाल के पद के लिए विभिन्न शैक्षणिक अर्हता 10 वीं, 12 वीं एवं स्नातक परीक्षा परिणामों में अर्जित प्रतिशत का क्रमशः 30 , 30 एवं 40 प्रतिशत को जोड़कर कुल अंकों से चयन प्रकिया के आगामी चरण हेतु वरीयता के आधार पर बुलावा पत्र प्रषित किया जावेगा। तद्उपरान्त क्षेत्रीय समन्वय पद हेतु समूह चर्चा एवं साक्षात्कार लिया जावेगा तथा लेखापाल पद के लिए तकनीकी परीक्षा लिया जावेगा।
11. कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद के लिए विभिन्न शैक्षणिक अर्हता 10 वीं एवं 12 वीं के परीक्षा परिणामों में अर्जित प्रतिशत का क्रमशः 50 एवं 50 प्रतिशत को जोड़कर कुल अंकों से चयन प्रकिया के आगामी चरण हेतु वरीयता के आधार पर बुलावा पत्र प्रेषित किया जावेगा। तद्उपरान्त तकनीकी परीक्षा लिया जावेगा।
12. समस्त पद हेतु उम्मीदवार अंतिम चयन उपरान्त 3 माह के परीविक्षा अवधी पर होंगे एवं परिवीक्षा अविधि के दौरान किये गए कार्यों के संतोयाप्रद निष्पादन फलस्वरूप परिवीक्षा समाप्त कर संविदा नियुक्ति दी जावेंगी जो सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी।
13. प्रत्येक पद के विरूद्ध चयनित उम्मीदवार के अतिरिक्त पात्र पाए अभ्यार्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी ताकि भविष्य में जिले के अंतर्गत रिक्त जिला स्तर अथवा विकास खण्ड स्तरीय पदों पर प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवार को नियुक्त किया जा सके।
14. नियुक्ति के संबंध में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।
15. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई अथवा बढाई जा सकती है।
16. चयन प्रकिया के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उसके आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
17. आवेदन करने की तिथि में रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण – पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र अमान्य किया जावेगा।
18. आवेदन पत्र के साथ 9 ग 4 साईस का दो लिफाफे जिसमें प्रत्येक के लिए 5–5 रूपये का डाक टिकट सहित आवेदक का वर्तमान पता लिखा हुआ हो, संलग्न काना अनिवार्य है। बिना लिफाफा के आवेदकों को कौशल परीक्षा की सूचना नही भेजी जावेगी ।

कलेक्टर
जिला बस्तर
जगदलपुर